

मानस हेल्पलाइन

स्रोत: पी.आई.बी

जुलाई 2024 में शुरू की गई मानस हेल्पलाइन के एक वर्ष पूरे हो गए हैं। मानस हेल्पलाइन पर 70,000 नागरिकों ने मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती की रिपोर्ट करने या पुनर्वास सहायता प्राप्त की है।

मानस

- मानस (मादक-पदार्थ निषेध सूचना केंद्र) नागरिकों के लिये NDPS अधिनियम के तहत नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिये समर्थन प्राप्त करने हेतु एक सुरक्षित, गुमनाम मंच है।
- शुरू: यह गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एक पहल है।

नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिये भारत का ढाँचा

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47: औषधीय परियोजनाओं को छोड़कर, मादक पेय और हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय: भारत ने स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961 (1972 प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित), मनःप्रभावी पदार्थों पर अभिसमय 1971 और स्वापक औषधियों तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 पर हस्ताक्षर किये हैं।
- कानून: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम।
- अन्य पहल: नदिन पोर्टल, नशा मुक्त भारत अभियान आदि।

और पढ़ें: [युवाओं में मादक पदार्थों का बढ़ता दुरुपयोग](#)